



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title:परिपत्र

Reference No.:IRDAI/NL/CIR/RIN/021/01/2017

Date:16/01/2017

आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा विदेशी बीमा कंपनियों के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 संशोधित के विनियम 28(9) के लागू होने की तिथि, संदर्भ अधिसूचना दिनांकित 28.01.2016

यह विषय पर परिपत्र संदर्भ : [आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरआईएन/036/02/2016](#) दिनांकित 29 फरवरी, 2016 (आईआरडीएआई के वेबसाइट में 01.03.2016 को अपलोड किया गया) के संदर्भ में है। संदर्भ परिपत्र, प्राधिकरण ने, आईआरडीएआई (लॉयड के अलावा अन्य विदेशी बीमा कंपनियों के पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 (संशोधित संदर्भ अधिसूचना दिनांकित 28.01.2016) के विनियम 28 (9) के लागू होने की तिथि को स्थगित किया है। प्राधिकरण ने हाल ही में एक भारतीय बीमा कंपनी के साथ-साथ 5 विदेशी बीमा कंपनियों की शाखाओं को आर 3 (पंजीकरण प्रमाण-पत्र) मंजूर किया है। अब यह निर्णय किया गया है कि आईआरडीएआई का विनियम 28(9) के अलावा विदेशी बीमकर्ताओं की शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन विनियम, 2015 (संशोधित संदर्भ अधिसूचना दिनांकित 28.01.2016) तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

पी.जे. जोसेफ
सदस्य (गैर-जीवन)